न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 15/2017

काना S/o जयकिशन रेबारी R/o जहाजीका खेड़ा बनाम (1) मोहन S/o जयकिशन रेबारी (2) रतिराम S/o घासा गुर्जर (3) भंवर S/o रतिराम गुर्जर R/o जहाजीकाखेड़ा

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

– आदेश :– दिनांक– 16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री काना रेबारी ने जरिये अभिभा श्री दिनेश तम्बोली ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयु खाते की भूमि ग्राम जहाजीकाखेड़ा प0ह0 जहाजीकाखेड़ा तह0 माण्डलगढ मे आराजी 465/360 किता रकबा 2 बीघा 00 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन स विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया ज साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्र की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलगन जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्र आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने ब शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नही प है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जा ग्राम जहाजीकाखेड़ा की आराजी न0– 465/360

रकबा 2 बीघा 00 ,बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये ज के आदश दिये जाते है। भू–अभिलेंख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता कमीशनर फीस 100 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसील माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी